पत्रांक–7/कुष्ठ–4–01/2012–15 (701

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना ।
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 24-4-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200– अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल–₹43,28,96,160/– (तैतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख छियान्वे हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल–₹43,28,96,160/– (तैतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख छियान्वे हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. दवा भंडार/ चिकित्सा सामग्री भंडार (रसायन)/ सामग्री एवं पूर्तियॉ एवं मशीने एवं उपस्कर इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन होंगे, शेष इकाईयो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये–सह नियंत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना /संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक– 21.5.2002, 379(9) दिनांक– 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक– 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

20/4/2012

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

12. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

20/4/2012.

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 15(7)09 पटना, दिनांक : 24-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित कुष्ठ नियंत्रण उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सह नियंत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना	3500000	1785000	525000	5000	31500	2450	5848950	15000	15000	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	5921450
2	अपर मु0चि0पदा0, बेतिया	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
3	अपर मु0चि0पदा0, पूर्णिया	9600000	4896000	1440000	0	86400	6720	16029120	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	16100620
4	अपर मु0चि0पदा0, मधुबनी	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	20000	0	18124260
5	अपर मु0चि0पदा0, गया	12000000	6120000	1800000	0	108000	8400	20036400	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	100000	100000	20307900
6	अपर मु0चि0पदा0, समस्तीपुर	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
7	अपर मु0चि0पदा0, बक्सर	4800000	2448000	720000	0	43200	3360	8014560	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	8086060
8	अपर मु0चि0पदा0, सहरसा	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
9	अपर मु0चि0पदा0, मुजफ्फरपुर	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
10	अपर मु0चि0पदा0, पटना	15600000	7956000	2340000	5000	140400	10920	26052320	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	26123820
11	अपर मु0चि0पदा0, भागलपुर	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
12	अपर मु0चि0पदा0, दरभंगा	7200000	3672000	1080000	0	64800	5040	12021840	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	12093340
13	अपर मु0चि0पदा0, नवादा	7200000	3672000	1080000	0	64800	5040	12021840	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	12093340
14	अपर मु0चि0पदा0, सिवान	7200000	3672000	1080000	0	64800	5040	12021840	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	12093340
15	अपर मु0चि0पदा0, बाँका	9600000	4896000	1440000	0	86400	6720	16029120	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	16100620
16	अपर मु0चि0पदा0, सीतामढ़ी	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
17	अपर मु0चि0पदा0, मुंगेर	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
18	अपर मु0चि0पदा0, भोजपुर	9600000	4896000	1440000	0	86400	6720	16029120	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	16100620
19	अपर मु0चि0पदा0, सासाराम	10800000	5508000	1620000	0	97200	7560	18032760	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	18104260
20	अपर मु0चि0पदा0, बेगुसराय	9600000	4896000	1440000	0	86400	6720	16029120	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	16100620
21	अपर मु0चि0पदा0, औरंगाबाद	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
22	अपर मु0चि0पदा0, गोपालगंज	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
23	अपर मु0चि0पदा0, मोतिहारी	12000000	6120000	1800000	0	108000	8400	20036400	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	20107900
24	अपर मु0चि0पदा0, नालन्दा	9600000	4896000	1440000	0	86400	6720	16029120	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	16100620
25	अपर मु0चि0पदा0, जहानाबाद	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
26	अपर मु0चि0पदा0, खगड़िया	3500000	1785000	525000	0	31500	2450	5843950	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	5915450
27	अपर मु0चि0पदा0, कटिहार	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
28	अपर मु0चि0पदा0, मधेपुरा	7200000	3672000	1080000	0	64800	5040	12021840	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	12093340
29	अपर मु0चि0पदा0, वैशाली	6000000	3060000	900000	0	54000	4200	10018200	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	10089700
30	अपर मु0चि0पदा0, सारण	3600000	1836000	540000	0	32400	2520	6010920	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	6082420
31	अपर मु0चि0पदा0, शिवहर	3600000	1836000	540000	0	32400	2520	6010920	14500	14500	6500	8000	6000	5000	1000	16000	0	0	6082420
	कुल	**257800000**	**131478000**	**38670000**	**10000**	**2320200**	**180460**	**430458660**	**450000**	**450000**	**201500**	**248000**	**186000**	**155000**	**31000**	**496000**	**120000**	**100000**	**432896160**

(तैतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख छियान्वे हजार एक सौ साठ) रू0 मात्र

15(7)9
24-4-12

20/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\2012 2013 file\Budget\Chandr\Leprosy AllotLep

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान में आवंटित	अवषेष राषि
1	2	3	5	7
1	वेतन (01–01)	314404000	257800000	56604000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	172922000	131478000	41444000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	47160000	38670000	8490000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	56000	10000	46000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2800000	2320200	479800
6	अन्य भत्ता (01–07)	314000	180460	133540
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**537656000**	**430458660**	**107197340**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	900000	450000	450000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	900000	450000	450000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	400000	201500	198500
11	दूरभाष (13–03)	516000	248000	268000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	380000	186000	194000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	155000	845000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	70000	31000	39000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	800000	0	800000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	1000000	496000	504000
17	दवा भंडार (21–02)	500000	120000	380000
18	आहार / पथ्य (21–03)	2000000	100000	1900000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	1000
	कुल योगः–	**547123000**	**432896160**	**114226840**

20/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

15(7)09
24-4-12